...मय उपखण्ड.. कठूमर जिला अलवर

.......1/167/19

तारीख रजू..............................

मिजाज खाँ बनाम लाडुली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.9.19	वकील वादी उपस्थित। यह दावा वादी के वकील श्री भवानी शंकर शर्मा एड० ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 30.10.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO K	739. 10.10.19
30/10/19	वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। नकल दिखाई गई। जवाब को समय चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 की पुनः तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते जवाब/ शेष की तलबी हेतु दिनांक 7/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDOK	नकल प्राप्त की (हस्ताक्षर) Adv 30.10.19
7/11/19	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/1/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) लिपिक	
23/1/20	वकुलाय हड़ताल पर/P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 12-3-2020 को पेश हो।	
12.3.20	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 30.4.20 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/6/22	R.O Meeting Alwar पेशी दिनांक 24/6/22
24/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। पत्रावली पर प्रा०पत्र 07 R11 CPC पर बहस सुनी गई। उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा०पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है अतः प्रतिवादी की गणना पत्र ऑर्डर 7 R 11 को साबित करने में रही है अतः प्रा०पत्र 07 R11 CPC स्वीकार कर वाद वादी इश्तहारहक व इकहिन्साई दावा इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। निर्णय प्रमाणपत्र ... पत्रावली ... हो कर ... दाखिल दफ्तर हो। अनुपालन। ... कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

मिजाज खां बनाम फावूली वगैरा

मुकदमा नम्बर 1/167/2019

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

आदेश

दिनांक 24.06.2022

प्रतिवादनी फावूली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य से प्रकार से है कि वादी ने अपने वाद पत्र में मौखिक वसीयत के आधार पर हसनवी वेवा चांदसिंह जाति मेव निवासी बाडला की आराजी खसरा नम्बर 451/540 रकवा 1.01 हे. वाके ग्राम बाडला तहसील कठूमर की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का दावा अदालत श्रीमान में पेश किया है वाद पत्र में वादी ने हसनवी द्वारा वादी के पक्ष में मौखिक वसीयत करना बताया है। मौखिक बसीयत का ना तो कोई दस्तावेज होता है और ना ही मौखिक वसीयत को कानूनन किसी तरह की कोई मान्यता दी गई है। मौखिक वसीयत करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। मौखिक वसीयत से कोई वाद हेतुक (कॉज ऑफ एक्शन) पैदा नहीं होता है। वादी ने वाद पत्र में मौखिक वसीयत कव की गई किन व्यक्तियों के सामने की गई ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है जव मौखिक वसीयत का कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है तो डिक्लेशन कराने का कोई वाद हेतुक पैदा नहीं होता। विना वाद हेतुक पैदा हुये वादी का वाद चलने योग्य नहीं है प्रार्थना पत्र वाद इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। मौखिक वसीयत "अस्त्वि में नही" की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। घोषणा हेतु वाद पोषणीय नहीं है इसलिए दावा वादी चलने योग्य नहीं है खारिज फर्माया जावे।

प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गयी। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र मे जो तथ्य प्रगट किये है कि विना साक्ष्य के एंव दस्तावेज के आधार पर दावा नहीं चल सकता है। अभी दावा जवाव

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

में चल रहा है प्रतिवादनी ने विगत तारीख पेशी पर जवाव पेश किया है तथा जवाव के वाद तनकी होगी तव दावा में साक्ष्य एंव दस्तावेज पेश किये जावेगे। प्रतिवादनी ने प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 गलत पेश किया है दावा पर लाई नहीं करती। वाद हेतुक दावा पर लाई नहीं करता है। हसनवी की मृत्यु हुई उसकी सारी मिटटी की रस्में वादी ने की तथा मृतक हसनवी की मुस्लिम रस्में भी वादी ने की थी। मृतक हसनवी ने वादी को अपना पुत्र पूरे गांव के सामने माना था इस हैसियत से वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तमाम तथ्य गलत होने से प्रतिवादनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादनी ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि कानून में मौखिक वसीयत की कोई मान्यता नही होती। वसीयत कव किन व्यक्तियों के समक्ष की गई यह भी वादी ने अपने दावा में अंकित नहीं किया है वादी मृतक हसनवी की आराजी की घोषणा अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज किय जावे। अधिवक्ता प्रतिवादनी ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर टी 2009 (1) पेज 637, आर आर डी 1981 पेज 667, आर आर डी 1980 पेज 646, ए आई आर 2003 एस सी पेज 759 की छाया प्रति पेश की है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादनी के कथनों का विरोध करते हुये अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रतिवादनी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया। वादी ने अपने दावा को हसनवी द्वारा अपने हक में मौखिक वसीयत करना बताकर लाया है तथा मृतक हसनवी की आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का निवेदन किया है। पत्रावली पर हसनवी द्वारा वादी के पक्ष में कोई मौखिक बसीयत की गई हो इस तरह का कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है मौखिक वसीयत हसनवी द्वारा वादी के पक्ष में कव की गई व किन किन व्यक्तियों के समक्ष पेश की गई इस तरह का भी कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

नहीं है। प्रतिवादनी ने अपने जवाव दावा में भी अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का भी अंकन किया है। कानूनन हमारी राय में मौखिक वसीयत का ना तो कोई दस्तावेज होता है और ना ही कानून में मौखिक बसीयत को कोई मान्यता दी गई है। इस तरह मौखिक वसीयत से वादी को कोई वाद हेतुक पैदा नहीं होता है और इस तरह वादी मृतक हसनवी की आराजी वावत किसी तरह की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अधिवक्ता प्रतिवादनी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का भी अधिवक्ता वादी ने कोई खण्डन नहीं किया है जो अखण्डित है तथा प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होती है। प्रतिवादनी अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रही है। अतः प्रतिवादनी का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद वादी इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 24.06..2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)